न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी–श्री रोहित चौहान

राजस्व आवेदन संख्या 199 / 2021

क्रमांकः: रीडीर / 2021 / 3869 दिनांकः–25.10.2021

आदेश

प्रार्थी विमानपत्तन निदेशक सिविल एन्क्लेव जोधपुर के तरमीम दुरूस्ती प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार बाड़मेर एवं सचिव नगर विकास न्यास बाड़मेर को सूना गया। प्रार्थी विमानपत्तन निदेशक सिविल एन्क्लेव जोधपुर द्वारा उतरलाई एयरपोर्ट के नवीन सिविल एन्क्केलव के प्रयोजनार्थ आवंटित 07.10 बीघा भूमि के लिऐ राजस्व अभिलेख में तरमीम दुरूस्ती हेतु आवेदन अनुसार तरमीम सत्यापित ले–आऊट प्लान के अनुसार पूर्व मे गलत (अशुद्व) तरमीम को तहसीलदार बाडमेर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 136 के अनुसरण में मौजा उत्तरलाई के खसरा नंबर 359 / 27 रकबा 7.10 बीघा किस्म बारानी अव्वल मे रेकर्ड अनुसार भूमि की लट्ठा ट्रेस में तरमीम सलंग्न नक्शा परिशिष्ट ''अ'' के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर

दिनांक :– 25.10.2021

क्रमांकः: रीडर / 2021 / 3870-71

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार बाड़मेर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में तरमीम दुरूस्त शीध्र किया जाकर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें।
2. प्रार्थी विमानपत्तन निदेशक सिविल एन्क्लेव जोधपुर को सूचनार्थ

उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर